कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, श्री खुशी राम अग्रवाल, एडवोकेट, गोपी भवन, कलक्टर गंज, डालीगंज, लखनऊ।**

प्रा0प0सं0— **383/2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री खुशी राम अग्रवाल, एडवोकेट ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

।— प्रार्थी के द्वारा दिनांक ।1—10—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें व्यापारी द्वारा **चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के आटे** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

व्यापारी द्वारा बताया गया कि आटा, मैदा, सूजी, बेसन को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची—। के क्रमांक—36 के अन्तर्गत करमुक्त घोषित किया गया है। उक्त प्रविष्टि निम्नवत् हैः—

36	Bun, rusk, bread excluding pizza bread; Atta, Maida, Suji, Besan; Gur, jaggery & edible variety of rab gur; Khandsari; Porridge; Honey and beehive.

व्यापारी द्वारा बताया गया कि मान0उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री विष्णु गोपाल विनोद कुमार बनाम, कमिश्नर वाणिज्य कर के वाद में टेपिओका फ्लोर (स्टार्च)को भी आटा की श्रेणी में माना गया है। चावल के अतिरिक्त अन्य जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का को वैट अधिनियम की अनुसुची—।—क्रमांक—8 के अन्तर्गत करमुक्त भी घोषित किया गया है ।

2— व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड—। वाणिज्य कर, लखनऊ जोन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या—37 दिनांक 21—।।—09 जिसके साथ ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)वाणिज्य कर, लखनऊ सम्भाग—सी, लखनऊ के पत्र संख्या—2744 दिनांक 190—11—08 संलग्न कर आख्या प्रेषित की गयी है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त विज्ञप्ति में केवल "आटा"शब्द लिखा है और कहीं नहीं लिखा है कि यह किस वस्तु का आटा है । कामन पारलेन्स के अनुसार भी सभी प्रकार का आटा उक्त विज्ञप्ति को दृष्टिगत रखते हुये करमुक्त होना चाहिए ।

3— धारा—59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री खुशी राम अग्रवाल, एडवोकेट उपस्थित हुये और प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया । उनके द्वारा बताया गया कि मान0 उच्च न्यायालय ने सर्वश्री विष्णु गोपाल विनोद कुमार बनाम कमिश्नर वाणिज्य कर के मामलें में टेपिओका फ्लोर (स्टार्च) को भी आटे की श्रेणी में माना गया है।यहीनहींआयुक्त(विधि)के पत्र संख्या—1—(।)—(ए—4)—92—93/563 दिनांक 29—6—92 द्वारा बेसन को भी आटे की परिभाषा में सम्मिलित माना गया है तथा उनके अनुसार चैम्बर डिक्शनरी में आटे (सिवनत) का तातर्प्य the finely -ground meal of wheat or other grain: माना गया है । आक्सफोर्ड डिक्शनरी में आटे (सिवनत) का तातर्प्य fine meal ,powder,made from grain,used for making bread ,cakes,pastry,etc. माना गया है। व्यापारी द्वारा बताया गया कि उपरोक्त प्रविष्टि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसुची—। के क्रमांक—36 के अन्तर्गत आटा शब्द के अन्तर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का सभी प्रकार का आटा आता है।

4— मेरे द्वारा व्यापारी के धारा—59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को व मान0उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया और पाया गया कि जिन निर्णयों का हवाला व्यापारी द्वारा दिया गया है वह समस्त व्यापार कर के निर्णय है तथा व्यापार कर में

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

सर्वश्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, श्री खुशी राम अग्रवाल, एडवोकेट, गोपी भवन, कलक्टर गंज, डालीगंज, लखनऊ/प्रा0प0सं0–383/2008

बेसन वर्गीकृत नहीं था परन्तु उक्त स्थिति उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जारी अनुसुची–। के क्रमांक–36 के सम्बन्ध में लागू नहीं होती है क्योंकि यदि विधायिका का 'आटे श्का तातर्प्य सभी प्रकार के पिसे हुये फूड ग्रेन से होता तो उनके द्वारा उक्त अनुसुची में आटे के अतिरिक्त मैदा, सूजी, बेसन का उल्लेख न किया जाता । साधरण बोल–चाल की भाषा में आटे का तातर्प्य गेहूँ का आटा ही माना जाता है तथा उक्त के अतिरिक्त जब और किसी आटे की आवश्यकता होती है तो क्रेता जिस आटे का नाम लेकर मांगता है तभी विक्रेता व्यापारी उक्त को उपलब्ध कराता है । यदि चैम्बर डिक्शनरी में दी गयी फ्लोर की परिभाषा को विधायिका द्वारा स्वीकार किया गया हेाता तो आटे के साथ मैदा, सूजी, बेसन के अंकन करने का कोई उदेश्य नहीं बनता था क्योंकि डिक्शनरी के अनुसार वैट अधिनियम की अनुसुची–। के क्रमांक–36 में आटे के अतिरिक्त मैदा, सूजी, बेसन का उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि डिक्शनरी के अनुसार उक्त वस्तुये अपने आप आटे की श्रेणी में आ जाती परन्तु चूंकि विधायिका द्वारा आटे के अतिरिक्त मैदा, सूजी, बेसन(चने का आटा)का उल्लेख वैट अधिनियम की अनुसुची में किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त आटे में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्के का आटा सम्मिलित नहीं है अतः चावल, ज्वार, बाजरा, मक्के का आटा किसी भी अनुसुची में न आने के कारण अनुसुची–5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता होगी।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः 20मार्च, 2009

ह0/20–3–09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।